आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

21.X.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0– 19/2013–14
84/2013–14

श्री बलदेव प्रसाद यादव, पिता–स्व0 गुंजर प्रसाद यादव, सा0–खजुरी, अंचल+थाना–भरगामा, जिला–अररिया – वादी

बनाम

1. अजय कुमार गुप्ता, पिता–स्व0 दरोगी साह
2. कामनी देवी, पति–स्व0 विजय कुमार गुप्ता, सभी सा0–खजुरी, थाना+अंचल–भरगामा, जिला–अररिया – प्रतिवादी सं0–1
3. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसंज – प्रतिवादी सं0–2

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन आवेदक श्री बलदेव प्रसाद यादव, पिता–स्व0 गुंजर प्रसाद यादव, सा0–खजुरी, अंचल+थाना–भरगामा, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 44/2012–13 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 22.05.2013 से विक्षुब्ध होकर समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 09.10.2013 को दाखिल किया गया है। समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 21.02.2014 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए इस न्यायालय को विधिवत निष्पादन हेतु हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 430/विधि, दिनांक 03.03.2014 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	कुल रकवा
खजुरी अंचल–भरगामा	104	633	1383	0.88 डी0
			1388	0.88 डी0
			1389	1.06 डी0
				2.82 डी0

इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचना दी गई तथा निम्न न्यायालय से पत्रांक 484/रा0, दिनांक 19.03.2014 द्वारा अभिलेख की माँग की गई। विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर अभिलेख को सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया। किन्तु बार–बार विपक्षी को सुनवाई हेतु मौका दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। तत्पश्चात प्रथम पक्ष

(पुनरीक्षणकर्त्ता) की एक पक्षीय सुनवाई दिनांक 03.09.2016 को की गई।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि कुल रकवा 70.00 एकड़ के खतियानी रैयत दरोगी प्रसाद गुप्ता थे। दरोगी गुप्ता अपने पिछे अपनी पत्नी देवकी देवी, एक पुत्री मोती देवी तथा दो पुत्र अजय कुमार गुप्ता एवं विजय कुमार गुप्ता को छोड़कर मृत हुये। दरोगी प्रसाद गुप्ता बड़े भूधारी थे। उनके विरूद्ध भूहदबंदी वाद सं0 142/1973–74 चला जिसमें उनके सभी वारिशान पक्षकार थे तथा सभी को अलग–अलग Unit में भूमि प्राप्त हुआ। वर्ष 1997–98 में विजय कुमार गुप्ता की मृत्यु हो गई। उनके सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उनके वारिशान पत्नी कामनी देवी एवं पुत्र रवि कुमार हुए। इनलोगों के बीच आपसी पंचनामा बँटवारा के आधार पर नामान्तरण वाद सं0 509/1997–98 द्वारा नामान्तरण होकर अलग–अलग जमाबंदी कायम हुआ। अजय कुमार गुप्ता द्वारा मोती देवी (बहन) के हिस्से की भूमि का भी नामान्तरण वाद सं0 404/2004–05 द्वारा अपने नाम से करा लिया गया। जिसके विरूद्ध मोती देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0 406/2004–05 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा अजय कुमार गुप्ता के पक्ष में हुए नामान्तरण आदेश को रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात मोती देवी द्वारा प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित दसतावेज सं0 7115, दिनांक 29.07.2008 द्वारा प्रथम पक्ष पुनरीक्षणकर्त्ता बलदेव यादव को बिक्री कर दी गई और उन्हें प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा दे दिया गया।

इनका यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष द्वारा क्रय केवाला द्वारा प्राप्त प्रश्नगत भूमि का नामांतरण, नामांतरण वाद सं0 158A/2011–12 द्वारा अपने पक्ष में कराकर जमाबंदी कायम कराया गया तथा लगान रसीद प्राप्त किया गया। जिसके विरूद्ध अजय कुमार गुप्ता एवं कामिनी देवी (विजय कुमार गुप्ता की पत्नी) द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 44/2012–13 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, विधि विरूद्ध आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण वाद सं0 158A/2011–12 में अंचलाधिकारी, भरगामा के पारित आदेश दिनांक 12.02.2011 को निरस्त कर दिया गया। जिसका अधिकार उन्हें नहीं था। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश न्याय संगत नहीं है, जिसे रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। किन्तु विपक्षी सं0 2, कामनी देवी की ओर से दिनांक 16.01.2015 को दाखिल प्रतिउत्तर–सह–लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय के अभिलेखों एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.20111 के परिशीलन से

स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 2, कामिनी देवी एवं अन्य 8 की ओर से सब जज चतुर्थ, अररिया के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 69/2008 दाखिल किया गया है, जिसमें प्रश्नगत भूमि भी शामिल है तथा उक्त स्वत्व सिविल न्यायालय में वर्त्तमान में लंबित है। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा इस बिन्दु पर कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता बलदेव यादव को प्रश्नगत भूमि उक्त स्वत्व वाद के दौरान ही निबंधित दस्तावेज से प्राप्त हुआ है तथा स्वत्व वाद लंबित रहने के दौरान ही विपक्षी की ओर से निम्न न्यायालय में आपत्ति दाखिल किये जाने के बावजूद विज्ञ अंचलाधिकारी, भरगामा द्वारा नामान्तरण वाद सं0 158A/2011–12 में दिनांक 28.12.2011 को नामान्तरण की स्वीकृति दिया गया है, जो युक्ति संगत नहीं है। नामान्तरण अपील वाद सं0 44/2012–13 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2013 को विधि सम्मत पाते हुए उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 44/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2013 को विधि सम्मत पाते हुए बरकरार रखा जाता है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद का विनिश्चय किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज तथा अंचल अधिकारी, भरगामा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संसोधित

ह०-
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह०-
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 121 (न्या०) /रा0, अररिया, दिनांक 21/10/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को नामान्तरण अपील वाद सं0 44/2012–13 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना0 अपील वाद सं0 44/2012–13 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, भरगामा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

21.X.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया